

## नीलामी सूचना

(वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि (दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक) हेतु बाहय न्यायालय सिविल जज जू0डि0 हसनपुर में नवनिर्मित न्यायालय भवन में स्थित फोटोस्टेट, फोटोग्राफिंग व कम्प्यूटर टाईपिंग तथा भोजनालय के ठेको की नीलामी)


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीलामी समिति की आख्या दिनांकित 24.08.2022 तथा माननीय जिला न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 24.08.2022 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि (दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक) हेतु बाहय न्यायालय सिविल जज जू0डि0 हसनपुर में नवनिर्मित न्यायालय भवन में स्थित फोटोस्टेट, फोटोग्राफिंग व कम्प्यूटर टाईपिंग तथा भोजनालय के ठेको की नीलामी की कार्यवाही खुली बोली के आधार पर दिनांक 03.09.2022 को जिला न्यायालय अमरोहा स्थित वीडियो कन्फ्रेंस रूम में समय शाम 04:00 बजे की जानी है। बाहय न्यायालय सिविल जज जू0डि0 हसनपुर में स्थित दुकानों/स्टालों तथा नीलामी की शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	दुकान/स्टाल का नाम	धरोहर धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दुकानों की नीलामी हेतु न्यूनतम बोली
1	फोटोस्टेट	1317/-रूपये	13165/-रू0
2	फोटोग्राफिंग व कम्प्यूटर टाईपिंग	1317/-रूपये	13165/-रू0
3	कैन्टीन	2806/-रूपये	28059/-रू0

### नीलामी की शर्तें व नियम निम्न प्रकार होंगे:

1. ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 31 मार्च 2023 तक होगी।
2. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 03.09.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक धरोहर धनराशि जमा कर शाम 04:00 बजे तक नीलामी में सम्मिलित होने के लिए जनपद न्यायालय अमरोहा में उपस्थित हो सकते हैं।
3. न्यायालय परिसर में नशीली एवं अन्य अवैध वस्तुएँ नहीं बेची जायेंगी।
4. ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाएँ एवं स्टॉल सम्बन्धी अस्थाई व्यवस्था स्वयं करेंगे।
5. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
6. नीलामी ठेका पक्ष में होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100/- रूपये के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा, उसे इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय समय पर पारित होने वाले आदेशों का पालन करना होगा।
7. ठेकेदार को ऐसे दो व्यक्तियों को जमानतदार के रूप में नाम व पता मय आधार कार्ड साथ प्रस्तुत करेगा कि धनराशि जमा न करने पर जमानतदारों से धनराशि वसूल की जायेगी।
8. यदि एक बोलीदाता एक से अधिक दुकान/स्टॉल की बोली में भाग लेना चाहता है तो उसे प्रत्येक दुकान/स्टॉल के लिए अलग अलग धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता को दुकान/स्टाल का ठेका नहीं मिलता है तो उसकी सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
9. प्रत्येक ठेकेदार को ठेके कि धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में तुरंत जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी।
10. किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने पर निरस्त नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता नीलामी की प्रथम किस्त जमा करने के उपरांत ठेका चला नहीं पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर धनराशि ज़ब्त कर ली जायेगी।

11. ठेका अवधि पूर्ण होने पर 31 मार्च 2023 को ठेकेदार अपना सामान स्वयं उठायेगा एवं भूमि का कब्जा सिविल जज जू0डि0 हसनपुर को उसी अवस्था में देगा जिस अवस्था में उसे प्रदान किया गया था।
12. सफल बोली दाता की धरोहर धनराशि चतुर्थ त्रैमास की किश्त में समायोजित की जायेगी।
13. आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति के व्यक्तियों का बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये ठेके को निरस्त किया जा सकता है।
14. प्लास्टिक, पॉलिथीन, धूम्रपान की वस्तुएं, ज्वलनशील पदार्थ एवं नशीले पदार्थ न्यायालय परिसर हसनपुर में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।
15. प्रत्येक वस्तु की मूल्य-सूची ठेकेदार को केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग जिला न्यायालय अमरोहा को उपलब्ध करानी होगी। सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृत होने पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है उतनी ही धनराशि की स्वयं के नाम पर दर्ज चल एवं अचल सम्पत्ति के दस्तावेज़ की छाया प्रति केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग जिला न्यायालय अमरोहा को उपलब्ध करानी होगी।
16. खाद्य पदार्थ की वस्तुयें मानक के अनुरूप होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ की जाँच ठेके की अवधि में किसी भी समय कराई जा सकती है। खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उसकी धनरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसका समस्त क्षेत्राधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को रहेगा।
17. माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 101/AA दिनांकित 17.09.1952 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार खाद्य पदार्थ के मूल्यों की एक सूची ठेके के स्थान पर चस्था करेगा एवं उक्त सूची में अंकित खाद्य पदार्थों के मूल्य से अधिक दर पर विक्रय नहीं करेगा।
18. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14 दिनांकित 08.02.1956 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ठेके की नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले अवांछनीय व्यक्ति का ठेका बिना किसी कारण के निरस्त कर सकते हैं एवं उससे कम नीलामी की बोली लगाने वाले उपयुक्त व्यक्ति का ठेका स्वीकार कर सकते हैं।

  
 (एस0पी0/सिंह)  
 अध्यक्ष

26.08.2022  
 नीलामी समिति जिला न्यायालय अमरोहा/  
 अपर जिला न्यायाधीश कक्ष संख्या 4  
 अमरोहा।